

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/पी-140/2021/189

दिनांक : 29/12/2021

संशोधित आदेश

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग ने पत्र क्रमांक : प.24 (18) चिस्वा/ग्रुप-3/2012 पार्ट 20.12.2021 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 16485/2021 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26.11.2021 की पालना में Udaipur Institute Of Nursing, 387/ A, Jhamar Kotra Main Road, Hiran Magri Sector-6, Dist. Udaipur, Rajasthan को जीएनएम शैक्षणिक सत्र 2020-21 की काउंसलिंग में अस्थाई रूप से 100 सीट पर छात्र आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की है।

रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक आरएनसी/शैक्षणिक/2020/1104 दिनांक 18.11.2020 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी पात्र संस्थानों की सूची के क्रम संख्या 131 पर Udaipur Institute Of Nursing, 387/ A, Jhamar Kotra Main Road, Hiran Magri Sector-6, Dist. Udaipur, Rajasthan को 60 सीट आवंटित थी, जिसे निदेशालय के आदेश क्रमांक प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-III)/2020/774 दिनांक 02.12.2020 के द्वारा विभागीय वेबसाईट पर दर्शायी गयी थी।

अतः अब उक्त संस्था को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 16485/2021 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26.11.2021 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020-21 की काउंसलिंग में अस्थाई तौर पर 100 सीटों पर छात्र आवंटन करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जो कि माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।




(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज., जयपुर
दिनांक :

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/पी-140/2021/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : प.24 (18) चिस्वा/ ग्रुप-3/2012 पार्ट 20.12.2021 के क्रम में।
2. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण में प्रभारी अधिकारी केस के नियुक्ति आदेश की प्रति शीघ्र उपलब्ध करावे ताकि अंतरिम निर्णय को वेकैट कराने की कार्यवाही की जा सके।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को भेजकर लेख है कि प्रवेश लेने वाले छात्रों को लिखित में कोर्ट केस के बारे में अवगत कराये जाने की सुनिश्चितता कराये।
4. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ैडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
5. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फ़ैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविकट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल, उदयपुर।
7. कोर्ट केस सीट प्रशिक्षण अनुभाग को संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक : प.24 (18) चिस्वा/ ग्रुप-3/2012 पार्ट 20.12.2021 एवं निर्णय की प्रति।
8. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 में अपलोड करने का श्रम करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज., जयपुर